

प्रेषक,

मुश्ताक अहमद
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक : 31 जुलाई, 2020

विषय:- भावनी बांध परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-282/परि0/कैम्प/बजट, दिनांक 10.07.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भावनी बांध परियोजना की अनुमोदित लागत रू0 51273.83 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित बजट व्यवस्था रू0 2400.00 लाख में से धनराशि रू0 5,00,00,000.00 (रूपये पांच करोड़ मात्र) परियोजना के कार्यों पर औपचारिक रूप से वहन किए जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) प्रश्नगत परियोजना के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।
- (2) उक्त धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24.03.2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं शर्तों के अधीन ही किया जायेगा तथा बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित किया गया है। प्रश्नगत स्वीकृति का उपयोग परिव्यय के अन्तर्गत ही किया जाएगा।
- (3) मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।
- (4) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

- (7) उक्त धनराशि को कोषागार से एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय किया जायेगा तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में न रखी जाय।
- (8) प्रायोजनान्तर्गत पी0एफ0ए0डी0/ व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लेकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (10) सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- (11) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापतियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूंजीलेखा लेखाशीर्षक-4701-46-051-05-14-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा ।

3- द्वितीय त्रैमास हेतु परियोजना पर ₹0 500.00 लाख का आवंटन एवं साख सीमा निर्गत करने की स्वीकृति/सहमति प्रदान की जाती है।

4- यह आदेश वित्त विभाग के यू0ओ0 संख्या-ई-8-1511/दस-2020, दिनांक 31 जुलाई, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय
मुश्ताक अहमद
विशेष सचिव।

संख्या-89/2020/897(1)/20-27-सि-9-39एसएवी/15 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
- (2) प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
- (3) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
- (4) मुख्य अभियन्ता(बजट) / (अग्रिम नियोजन), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
- (5) मुख्य अभियन्ता (परियोजना बेटवा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, झांसी।
- (6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
- (7) गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
राम नारायण त्रिपाठी
उप सचिव।